



2026:AHC:17944

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 27321/2025

रोमिल कुमार

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आर्यन श्रीवास्तव, नरेंद्र नाथ त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. सी. श्रीवास्तव, जिन्हें श्री एन. एन. त्रिपाठी, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई, तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना और प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया।

आवेदक रोमिल कुमार की ओर से प्रस्तुत यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या- 15/2025, धारा 318(2), 318(4), 61(2) बी.एन.एस. और धारा 66-डी आई.टी. एक्ट, थाना साइबर क्राइम, जिला वाराणसी में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा आवेदक का जमानत आवेदन दिनांक 04.07.2025 को निरस्त कर दिया गया था और आवेदक 17.05.2025 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. सी. श्रीवास्तव ने प्रबल तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इसी अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है। आवेदक एफआईआर में नामित नहीं है, जो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज की गई है कि सूचनाकर्ता को 'आस्क इनवेस्टमेंट' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने और निवेश करने के लिए प्रलोभन दिया गया था। जब सूचनाकर्ता ने कमाए गए लाभ को निकालना चाहा, तो उसे ऐसा करने से रोक दिया गया और साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से उससे 1,88,32,000/- रुपये की राशि ठग ली गई। उक्त राशि को एफ.आई.आर. में उल्लिखित विभिन्न बैंक खाता संख्याओं में स्थानांतरित किया जाना बताया गया है, जिसमें लाइफ हेल्थ केयर के नाम पर संचालित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाता संख्या 1022465617 भी शामिल है। अपराध के कारित होने में आवेदक की संलिप्तता मोबाइल नंबर 8707224200, जिसका आई.एम.ई.आई. प्रथम संख्या 357580352346980 और आई.एम.ई.आई. द्वितीय संख्या 35641238234698 है, के उपयोग से स्थापित की गई है, जिससे उपरोक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में लेन-देन किया गया है। आवेदक ने इस बात से इनकार किया है कि वह मोबाइल नंबर 8707224200 का धारक है और उसका इससे कोई सरोकार नहीं है। आवेदक एक पैसे का भी लाभार्थी नहीं है और अपराध कारित होने से उसका कोई लेना-देना नहीं है। वर्तमान प्रकरण के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

श्री पी. सी. श्रीवास्तव, आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रबलता से यह तर्क दिया है कि आवेदक 17.05.2025 से अभिरक्षा में है। आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और संबंधित न्यायालय ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है। आवेदक के विरुद्ध आरोप 07.08.2025 को तय किए गए थे और उसके पश्चात मामला अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत किया जा रहा है, परंतु आज तक अभियोजन पक्ष के समर्थन में एक भी गवाह सामने नहीं आया है। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(6) के अनुरूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480(6) की ओर आकर्षित किया है, यह निवेदन करने के लिए कि जहाँ कोई मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और किसी अजमानतीय अपराध के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपी व्यक्ति का विचारण मामले में साक्ष्य लेने के लिए नियत पहली तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति जमानत पर स्वीकार किए जाने योग्य है यदि वह उक्त संपूर्ण अवधि के दौरान हिरासत में रहा हो, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे। अतः यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, चूँकि साक्ष्य लेने के लिए नियत पहली तारीख से 60 दिनों के भीतर विचारण समाप्त नहीं हुआ है जैसा कि आदेश पत्रक से स्पष्ट है, आवेदक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(6)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480(6) के लाभ का अधिकारी है एवं जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत याचिका का प्रबल विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि विवेचना अधिकारी ने विवेचना के दौरान आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाता संख्या 102224656157 का विवरण, आवेदक के नाम पर पंजीकृत मोबाइल नंबर 8707224200 का सीडीआर/सीएफ और दिनांक 21.04.2025 से 22.04.2025 तक के एटीएम के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए हैं, जिससे आवेदक का नाम सामने आया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी भी हुई है, इसलिए आवेदक इस न्यायालय से किसी भी कृपा का पात्र नहीं है। यद्यपि, विद्वान ए.जी.ए. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उन तर्कों का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(6)/बी.एन.एस.एस. की धारा 480(6) के लाभ का पात्र है।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और प्रस्तुत किए गए तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(6)/बी.एन.एस.एस. की धारा 480(6) इस प्रकार है:

“437. अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी-

.....

(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी प्रकरण में, किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का विचारण, प्रकरण में साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति, यदि वह उक्त संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में रहा है, मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप जमानत पर रिहा किया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, अन्यथा निर्देश न दे।”

निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 की उपधारा (6)/बी.एन.एस.एस. की धारा 480 के प्रावधान को विधायिका द्वारा विचाराधीन कैदी को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखे बिना विचारण में तेजी लाने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। इस उप-धारा अर्थात् 437(6) के तहत परिकल्पित चरण आरोप-पत्र दाखिल होने और आरोप तय होने के बाद का है, जब विचारण आरंभ होता है और अभियुक्त साक्ष्य के लिए नियत प्रथम तिथि से 60 दिन बीत जाने के बाद आवेदन प्रस्तुत करता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(6) की व्याख्या हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2025 लाइव-लॉ (एससी) 223** में प्रकाशित **सुभेलाल उर्फ सुशील साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**, के मामले में की गई थी, जहाँ माननीय न्यायमूर्तिगण ने निर्णय के पैरा 17 और 18 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

17. इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि धारा 437(6) के तहत आवेदनों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्त के पक्ष में विवेक का प्रयोग करना एक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय होगा, विशेष रूप से वहाँ जहाँ साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना न हो; उदाहरण के लिए जहाँ प्रकरण अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित हो आपराधिक अपील संख्या 818/2025 @ एस.एल.पी. (क्रिमिनल) संख्या 1314/2025 10 जो पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं; जहाँ विलंब कारित करने में अभियुक्त की ओर से कोई दोष न हो; जहाँ अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना न हो; जहाँ निकट भविष्य में विचारण (trial) के संपन्न होने की बहुत कम गुंजाइश हो; जहाँ अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, उस अपराध के लिए निर्धारित सजा की तुलना में पर्याप्त हो जिसके लिए उसका विचारण किया जा रहा है। संहिता की धारा 437(6) के तहत आवेदन का निर्णय करते समय जमानत आवेदन के निर्धारण के सामान्य मानक भी प्रासंगिक होंगे, लेकिन उस कठोरता के साथ नहीं जैसे कि वे नियमित जमानत के आवेदन के समय होते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. दूसरे शब्दों में, जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध ऐसे सकारात्मक कारकों का अभाव हो जो अभियोजन पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह की संभावना दर्शाते हों या अभियुक्त विचारण में विलंब के लिए जिम्मेदार हो, वहाँ भारत के संविधान के तहत परिकल्पित और विधायिका द्वारा संहिता की धारा 437 की उपधारा (6) को शामिल करके संरक्षित की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्रिमिनल अपील संख्या 818/2025 @ एस.एल.पी. (क्रिमिनल) संख्या 1314/2025 11 धारा 437(6) के आवेदन को उदारतापूर्वक निपटाया जाना चाहिए।

उपरोक्त संदर्भित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपात पर विचार करते हुए और उसमें किये गए अभिनिर्धारण को संज्ञान में लेते हुए, उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की किसी भी उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को देखते हुए, लेकिन प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय की यह राय है कि जमानत का आधार बनता है।

अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **रोमिल कुमार**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

20 जनवरी, 2026

पी.के.एस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।